FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मामराज बनाम नेमीचन्द वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 ९५९ सन् 2023 जीसीएमएस नं.

रीख म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-12-2023	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री राधेश्याम शर्मा** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 449, 465, 469, 470 किता 4 रकबा 1.33 हैक्ट. अवस्थित ग्राम नापावाली पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयो[illegible] जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की [illegible] है, [illegible] परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थी को [illegible] रजि. नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक [illegible]2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.10.06 16:54:07 IST

Reason: SelfAttested

19/1/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री सुलेमान पुनिया एडवोकेट ने दावे में वकालतनामा पेश किया। वास्ते जवाब व तामील आदेश पत्रावली दिनांक 5/3/24 को पेश हो।

5/3/24 वकुलाम उप0। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। वास्ते जवाब व शेष अप्रार्थीगण की तामील आदेश पत्रावली दिनांक 28/5/24 को पेश हो।

28/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप [illegible]
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 26/7/24
को पेश हों।

26/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 07/10/24
को पेश हों।

7/10 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 18/11/24
को पेश हों।

27/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 5/11/25
को पेश हों।

24/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/3/25 को पेश हो।

18/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 20/6/25 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj[...]
Yadav
Date: 2025.10.06 15:54
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/6 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/9/25 को पेश हों।	
23/9/25	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष हाजिर। उभयपक्ष ने बाबत विड्रा मय हैडा पेश किया। वकील वादी ने बाबत विड्रा पेश करने पर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है पर अब कोई विवाद शेष नहीं रहा। अत: विड्रा करने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का प्रार्थना पत्र दावा बाबत विड्रा प्रार्थित ढंग से स्वीकार किया जाता है। अत: कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] कार्य होकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर)	मामराज Identified (हस्ताक्षर) Adv. 23/9/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested